न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,संख्या–एक, केकड़ी. (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : रमेश कुमार करोल (आर.जे.एस.)

आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या : 407/2021

सी.आई.एस. संख्या : 716/2021

विमल कुमार सुनिल कुमार बोरदिया प्रोपराइटर अशोक कुमार बोरदिया पुत्र बहादुरमल बोरदिया निवासी बघेरा रोड़ दादाबाड़ी के पास केकड़ी जिला अजमेर

–परिवादी

बनाम

1. जी.ए. एन्टरप्राइजेज अजमेर रोड़ सरवाड़ जिला अजमेर
2. जी.ए. एन्टरप्राइजेज प्रोपराइटर पंकज आचार्य पुत्र घनश्याम आचार्य अजमेर रोड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर **–अभियुक्त**

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881

उपस्थितः–

1. परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री निर्मल चौधरी।
2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हेमेन्द्र राठौड़।

निर्णय **दिनांक 10.04.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी विमल कुमार सुनिल कुमार बोरदिया जरिये प्रोपराइटर अशोक कुमार बोरदिया **(आगे परिवादी से उल्लेखित)** की ओर से अभियुक्त जी.ए. एन्टरप्राइजेज जरिये प्रोपराइटर पंकज आचार्य **(आगे अभियुक्त से उल्लेखित)** के विरूद्ध परिवाद इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त ने परिवादी से पुट्टी के कट्टे खरीद किये थे, जिसकी अदायगी के लिये चैक संख्या 041453 दिनांक 2.01.20 राशि 1,80,000/– रूपये का भरकर दिया। अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षरित चैक को परिवादी ने संबंधित बैंक खाते में पैसे जमा कराने हेतु वास्ते संग्रहण एवं भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जहां से उक्त चैक को खाते में **अपर्याप्त राशि** के पृष्ठांकन से अनादरित कर जरिये अनादरण मीमो परिवादी को लौटा दिया गया। जिसके उपरांत परिवादी ने अपने अधिवक्ता के जरिए रजिस्टर्ड डाक एवं साधारण डाक से एक विधिक नोटिस **(आगे विधिक नोटिस से**

उल्लेखित) दिनांक 26.02.2020 को अभियुक्त को प्रेषित किया, जो अभियुक्त ने लेने से इंकार किया। अभियुक्त ने चैक में वर्णित राशि का भुगतान आज दिनांक तक परिवादी को नहीं किया। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 **(आगे अधिनियम से उल्लेखित)** के तहत दण्डनीय अपराध है एवं उक्त चैक में वर्णित राशि मय शास्ति हर्जे–खर्चे के साथ दिलवाए जाने का निवेदन किया.......आदि।

2. परिवाद के समर्थन में परिवादी ने धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (आगे दण्ड प्रक्रिया संहिता से उल्लेखित) के प्रावधानों के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेजों के रूप में विवादित चेक, चेक अनादरण मीमो **(आगे अनादरण मीमो से उल्लेखित)**, विधिक नोटिस, डाक रसीद, प्राप्ति आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. अभियुक्त के विरूद्ध अधिनियम की धारा 138 अपराध प्रथम दृष्टया बनने पर उसके विरूद्ध उक्त अपराध का दिनांक 07.04.2021 को प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया व अभियुक्त के उपस्थित आने पर अभियुक्त को अधिनियम की धारा 138 (आगे आरोपित अपराध से उल्लेखित) के अपराध का आरोप सारांश सुनाया व समझाया गया। जिसे सुन, समझकर अभियुक्त ने अपराध के आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए परिवादी ने स्वयं को पी.डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित कराया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी 01 लगायत 14 प्रदर्शित करवाये गये। परिवादी द्वारा और साक्ष्य पेश नहीं करने पर परिवादी की साक्ष्य समाप्त की गई।

5. अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किया गया तो अभियुक्त ने साक्ष्य परिवादी को गलत होना बताया एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया जाकर पत्रावली बहस अंतिम में नियत की गई।

6. बहस अंतिम सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता परिवादी का यह तर्क रहा है कि परिवादी ने प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अभियुक्त द्वारा चेक पर अपने हस्ताक्षर विवादित नहीं किये हैं तथा उक्त चेक के अनादरण के संबंध में विहित परिसीमा में नोटिस अभियुक्त को प्रेषित करवाया गया है, जो अभियुक्त द्वारा लेने से

इंकार किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध तथा परिवादी के पक्ष में अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा सृजित होती है, जिसे अभियुक्त की ओर से खण्डित नहीं किया गया है। अभियुक्त की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने परीक्षण में यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि उसके द्वारा जो पुट्टी के कट्टे उधार लिये गये थे, उसका भुगतान परिवादी को कर दिया गया था। इस प्रकार परिवादी ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने मामले को संदेह से परे साबित किया है। अन्त में अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर विधिनुसार दण्ड तथा चेक की दुगनी राशि के जुर्माने से दण्डित करने तथा उक्त राशि परिवादी को बतौर प्रतिकर दिलवाये जाने का निवेदन किया है।

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया है व तर्क दिया है कि परिवादी ने अभियुक्त से सिक्योरिटी बाबत चैक लिया था, जिसका परिवादी द्वारा दुरूपयोग किया गया है। परिवादी अभियुक्त से कोई पैसा नहीं मांगता है। इसके अतिरिक्त चैक पर लिखी गई इबारतों में भी काफी अंतर है। परिवादी द्वारा झूंठे तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

8. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली व संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न बिन्दु उत्पन्न होता है किः–

1. क्या अभियुक्त ने परिवादी से पुट्टी के कट्टे प्राप्त किये एवं उक्त राशि के भुगतान पेटे चैक संख्या 041453 दिनांक 02.01.2020 राशि 1,80,000/– रूपये का परिवादी को दिया, जो परिवादी द्वारा बैंक में भुगतान प्राप्ति हेतु प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा ''**अपर्याप्त राशि**'' के पृष्ठांकन से अनादरित किये जाकर परिवादी को लौटाया गया। इसके उपरांत चैक अनादरण की सूचना जरिये नोटिस प्रेषित किये जाने के बावजूद अभियुक्त ने चैक में वर्णित राशि का भुगतान विहित समयावधि में परिवादी को नहीं कर धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित किया?

2. यदि हां, तो उक्त अपराध का उचित दण्ड क्या होगा? ''

9. उक्त विचारणीय बिन्दु की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो उभय पक्षों की ओर से चेक अभियुक्त के बैंक खाते का होना, चेक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने, चेक को वैधता अवधि के दौरान समाशोधन हेतु प्रस्तुत करने, चेक

अपर्याप्त निधि के रिमार्क से अनादरित हो जाने से संबंधित तथ्यों के संबंध में विवाद नहीं किया गया है। अतः इन तथ्यों की हद तक उभय पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों व प्रस्तुत साक्ष्य का उल्लेख व विवेचन सुसंगत नहीं है।

10. विचारणीय प्रश्न के संबंध में न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम यह अवधारित किया जाना है कि:– क्या परिवादी के पक्ष में अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का सृजन हुआ है ? उपधारणा के सृजन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त Aps Forex Services Pvt. Ltd. vs Shakti International Fashion, 2020 SCC online sc 193 **में यह मार्गदर्शन किया गया है कि** Section 139 of the Act is an example of reverse onus clause and therefore once the issuance of the cheque has been admitted and even the signature on the cheque has been admitted, there ia always a presumption in favour of the complainant that there exists legally enforceable debt or liability and thereafter it is for the accused to rebut such presumption by leading evidence. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Basalingappa vs. Mudibasappa (2019) 5 SCC 418** में चैक अनादरण के मामलों में प्रतिफल के संबंध में सृजित होने वाली विधिक उपधारणा के संबंध में अपना मत प्रतिपादित करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– “23. We having noticed the ratio laid down by this Court in above cases on Sections 118(a) and 139, we now summarise the principles enumerated by this Court in following manner:-(i) Once the execution of cheque is admitted Section 139 of the Act mandates a presumption that the cheque was for the discharge of any debt or other liability. (ii) The presumption under Section 139 is a rebuttable presumption and the onus is on the accused to raise the probable defence. The standard of proof for rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities. (iii) To rebut the presumption, it is open for the accused to rely on evidence led by him or accused can also rely on the materials submitted by the complainant in order to raise a probable defence. Inference of preponderance of probabilities can be drawn not only from the materials brought on record by the parties but also by reference to the circumstances upon which

they rely. (iv) That it is not necessary for the accused to come in the witness box in support of his defence, Section 139 imposed an evidentiary burden and not a persuasive burden. (v) It is not necessary for the accused to come in the witness box to support his defence.”

इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करने पर परिवादी के पक्ष में उपधारणा का सृजन होता है, बशर्ते उपधारणा के सृजन के लिए परिवादी द्वारा प्रारम्भिक आधार तथ्यों को स्थापित किया गया हो।

11. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में विवादित चेक प्रदर्श पी 01 दिनांक 02.01.2020 का है, जो विधितः अवधि के दौरान समाशोधन हेतु परिवादी बैंक द्वारा अपने बैंक में प्रस्तुत किया जाना परिवाद पत्र में अंकित किया है। चेक पर अभियुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर होने का तथ्य किसी भी स्तर पर विवादित नहीं किया गया है। चेक बैंक द्वारा **अपर्याप्त निधि** के रिमार्क के साथ अनादरित किया गया है, जो परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न मीमो से प्रकट होता है। जहां तक नोटिस का संबंध है तो परिवादी द्वारा प्रदर्श पी 04 नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक रसीद प्रदर्श पी 02 एवं 03 प्रेषित किया गया है। ऐसे में चेक पर अभियुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर प्रकट होने के रिमार्क के साथ उपधारणा के प्रयोजन से प्राथमिक तथ्यों को स्थापित करने से परिवादी के पक्ष में अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का सृजन होता है।

12. क्या अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणा का खण्डन किया गया है ?

13. उक्त विचारणीय प्रश्न के संदर्भ में परिवादी गवाह पी.ड. 1 के रूप में उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं शपथ पत्र के ताईद की गई है। परिवादी की जिरह का अवलोकन किया जावे तो गवाह ने कथन किया है कि मुलजिम को जो नोटिस दिया था उसने लेने से इंकार किया था। नोटिस वकील साहब ने दिया था एवं नोटिस पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि वह जो लेनदेन करता है, उस बाबत सिक्योरिटी पेटे चैक रखते हो। यह कहना सही है कि उसने जो बिल पेश किये, वह परिवाद के साथ पेश नहीं किये। यह सही है कि जो कम्प्यूटर बिल रखते है, उस पर माल लेने वाले के हस्ताक्षर नहीं करवाते। यह भी सही है कि माल डिलिवरी की तारीख मेन्शन नहीं है अजखुद कहा कि जिस दिन माल देते थे उसी दिन बिल व डिलीवरी दे देते थे। यह कहना गलत है कि उसने परिवाद मियाद में पेश नहीं किया हो। यह कहना गलत है कि उसने सिक्योरिटी बाबत चैक लिया हो तथा उसका

दुरूपयोग किया हो। यह कहना गलत है कि वह मुलजिम से कोई पैसा नहीं मांगता हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 01 पर इबारत उसके द्वारा लिखी गई है एवं यह कहना भी गलत है कि चैक पर हस्ताक्षर व इबारत अलग–अलग पैन से लिखी हो।

14. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी द्वारा हस्तगत परिवाद विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं परिवादी द्वारा जो नोटिस प्रेषित किया गया है वह दिनांक 26.2.2020 को प्रेषित किया गया है जबकि परिवादी द्वारा परिवाद दिनांक 06.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है, ऐसे में परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विहित समायावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है इसके विपरीत परिवादी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उक्त समय कोरोना होने के कारण परिवाद विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिस बाबत परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को नोटिस जरिये प्रदर्श पी 04 दिनांक 26.02.2020 को प्रेषित किया गया था, जिसको जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. प्रदर्श पी 06 एवं 07 लेने से इंकार किया गया एवं परिवादी द्वारा परिवाद दिनांक 06.0.2020 को प्रस्तुत किया गया है जिस संबंध में न्यायालय का मत है कि उस वक्त कोविड 19 के संक्रमण के कारण उक्त परिवाद देरी से पेश किया गया, जिस बाबत परिसीमा अवधि का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए दिशा–निर्देश दिये गये थे एवं परिसीमा अवधि में छूट दी गई थी। ऐसे में माननीय न्यायालयों द्वारा परिसीमा अवधि में प्रदान की गई छूट को दृष्टिगत रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि परिवादी का परिवाद केवल विलम्ब के आधार पर विधिमान्य नहीं हो। ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क पोषणीय नहीं रह जाता है।

15. अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि परिवादी उससे कोई पैसा नहीं मांगता है एवं न ही अभियुक्त ने परिवादी से कोई माल उधार प्राप्त किया है अपितु परिवादी द्वारा अभियुक्त के सिक्योरिटी पेटे दिये गये चैक का दुरूपयोग किया गया है। इसके विपरीत अधिवक्ता परिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा विवादित चैक किसी विधिक दायित्व की अदायगी पेटे ही दिया गया है।

16. इस संबंध में न्यायालय का मत है कि यदि विवादित चैक अभियुक्त द्वारा सिक्योरिटी पेटे परिवादी को दिये जाने एवं परिवादी द्वारा उक्त चैक का दुरूपयोग

किया गया है तो परिवादी के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित था। सामान्य संव्यवहार में यदि किसी व्यक्ति के चैक का आशयतन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुरूपयोग किया जाता है तो उसके द्वारा विधिक तौर पर अपने हकों की सुरक्षा किया जाना अपेक्षित है। हस्तगत प्रकरण में परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत परिवाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् भी अभियुक्त द्वारा परिवादी के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं किया जाना स्वयमेव अभियुक्त के आचरण को संदेहास्पद बनाता है। अतः अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क पोषणीय नहीं रह जाता है।

17. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में आक्षेपित डिमांड नोटिस अभियुक्त को कभी प्राप्त ही नहीं हुआ क्योंकि नोटिस प्राप्ति पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसे में प्रकरण में धारा 138 एन आई एक्ट के तहत आज्ञापक समस्त शर्तों की पूर्ति होना नहीं माना जा सकता। इस संदर्भ में न्यायालय के विनम्र मत में उक्त डिमांड नोटिस परिवादी द्वारा अभियुक्त को प्रेषित किया गया था। **नोटिस व हस्तगत परिवाद में अभियुक्त का पता एक ही है।** ऐसे में यह माने जाने का कोई आधार दर्शित नहीं होता है कि डिमांड नोटिस की तामिल अभियुक्त पर नहीं हुई हो। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सी.सी. अलावी हाजी बनाम पलापेट्टी मौहम्मद (2007) 6 एस.सी.सी 555** के प्रकरण में यह मत प्रतिपादित किया है की यदि सही पते पर नोटिस प्रेषित किया जाता है तो नोटिस की तामील मानी जाएगी, साथ ही यदि किसी कारण से अभियुक्त पर नोटिस की तामील नही भी होती है तो भी न्यायालय से सम्मन प्राप्त होने से 15 दिवस में अभियुक्त द्वारा चैक राशि का परिवादी को भुगतान किया जा सकता है, तथा ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा नोटिस प्राप्त नही होने बाबत बचाव नही लिया जा सकता। अतः न्यायालय के विनम्र मत में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्क पोषणीय होना नही माना जा सकता।

18. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर तथा शेष इबारतों में अंतर है। ऐसे में स्पष्ट रूप से अभियुक्त के चैक का परिवादी द्वारा दुरूपयोग किया जाना जाहिर होता है। इस संदर्भ में न्यायालय का विनम्र मत है कि यह सही है कि चैक प्रदर्श पी 01 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर व अन्य इबारतों में अंतर है पर जहां तक अभियुक्त के हस्ताक्षर का प्रश्न है तो इस संदर्भ में कोई विवाद नहीं है की उक्त हस्ताक्षर अभियुक्त

के ना हो। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 20 के अनुसार यदि किसी खाली चैक पर हस्ताक्षर करके उक्त चैक किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को प्रदत्त किया जाता है तो स्वयमेव जारीकर्ता द्वारा उक्त चैक पर अन्य इबारतें लिखने का अधिकार भी प्रदत्त कर दिया जाता है। यह साबित करने का भार स्वयं बचाव पक्ष पर था कि उक्त चैक में वर्णित राशि के संदर्भ में अभियुक्त एवं परिवादी के मध्य कोई संव्यवहार नहीं हुआ हो। मात्र चैक पर हस्ताक्षर व अन्य इबारतों में अंतर होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के खाली चैक का दुरूपयोग किया गया हो।

19. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 में यह प्रावधान दिया गया है कि

'' जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, प्रतिफल के विषय में यह उपधारणा की जावेगी कि हर परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि ऐसी लिखत जब प्रतिगृहित, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहित, पृष्ठांकित, परक्रामित या अंतरित की गई थी।''

20. इसी प्रकार धारा 139 में यह प्रावधानित है कि

''जब तक कि अन्यथा साबित नहीं कर दिया जावे कि यह उपधारणा की जावेगी कि चैक के धारक ने यह चैक धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अन्यथा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। ''

21. इस प्रकार धारा 118 व 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुरूप अभियुक्त के विरूद्ध यह उप–धारणा बनती है कि चैक उसने किसी प्रतिफल की एवज में ही दिया था। उक्त उप–धारणायें खण्डनीय प्रकृति की है, जिनका खंडन करने का भार अभियुक्त पर था। साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है अभियुक्त द्वारा प्रकरण में आक्षेपित चैक प्रदर्श पी 1 परिवादी से उधार ली गई राशि के भुगतान पेटे प्रदत्त किया गया था। ऐसे में न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त उक्त उपधारणाओ को खंडित करने मे असफल रहा है।

22. उपरोक्त समस्त विवेचन से अभियुक्त अपने विरूद्ध सृजित उपधारणा का खंडन करने में असफल रहा है तथा परिवादी अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रकट होता है।

आ दे श

23. अतः अभियुक्त **जी.ए. एन्टरप्राइजेज अजमेर रोड़ सरवाड़ जिला अजमेर एवं जी.ए. एन्टरप्राइजेज प्रोपराइटर पंकज आचार्य पुत्र घनश्याम आचार्य अजमेर रोड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर** को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

{ रमेश कुमार करोल }
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या–एक, केकड़ी

सजा के बिन्दु पर:–

24. सजा के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। अधिवक्ता परिवादी द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि हस्तगत प्रकरण धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित है तथा उक्त अपराध आर्थिक प्रकृति का अपराध है। परिवादी लगभग छह वर्षों से न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर रहा है। ऐसे में अभियुक्त को सख्त से सख्त दण्ड से दण्डित किया जावे।

25. उभयपक्षों को सुना गया। न्यायालय के विनम्र मतानुसार हस्तगत प्रकरण आर्थिक प्रकृति के अपराध से संबंधित है। वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में अधिकतर व्यावसायिक संव्यवहार चैकों के माध्यम से ही किया जाता है तथा दिन–प्रतिदिन चैक अनादरण के मामलों लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में परिवीक्षा का लाभ दिये जाने से न केवल चैकों के माध्यम से होने वाले आर्थिक संव्यवहारों के प्रति आमजन की विश्वसनीयता खण्डित होगी वरन अपराधियों के हौसले भी बढ़ेंगे। अतः हस्तगत प्रकरण में परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के तथ्यों एंव परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को निम्न प्रकार दण्डित किया जाता है।

– दण्डादेश:–

26. अतः अभियुक्त **जी.ए. एन्टरप्राइजेज अजमेर रोड़ सरवाड़ जिला अजमेर एवं जी.ए. एन्टरप्राइजेज प्रोपराइटर पंकज आचार्य पुत्र घनश्याम आचार्य अजमेर रोड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर** को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया घोषित किया जाकर **06 माह** के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है साथ ही अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार राशि **2,15,000/– अक्षरे दो लाख पन्द्रह हजार रूपये** बतौर प्रतिकर भी परिवादी को अदा करेगा। अदम अदायगी प्रतिकर अभियुक्त **01 माह** का साधारण कारावास अतिरिक्त भोगेगा। प्रतिकर की राशि अभियुक्त से जुर्माने के रूप में वसूलनीय होगी। यदि अभियुक्त द्वारा पूर्व में कोई पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा अवधि भोगी गई हो तो वह धारा 428 द.प्र.सं. के विधिक प्रावधनों के अनुसार समायोजित की जावे। अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जावे। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावें। अभियुक्त की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलके निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत रहेंगे। उक्त अवधि में अपील प्रस्तुत होने पर उनके उन्मोचन का आदेश माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जावेगा व अपील प्रस्तुत नहीं होने पर उक्त अवधि के अवसान के पश्चात स्वतः ही उन्मोचित समझे जावेंगे।

{ रमेश कुमार करोल }
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या–एक, केकड़ी

27. निर्णय आज **दिनांक 10.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ रमेश कुमार करोल }
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या–एक, केकड़ी.